Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में पटवारी एवं उसका दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 40 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *20 मई, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर झालावाड़ इकाई द्वारा कोटा में कार्यवाही करते हुये धनवीर मीणा पटवारी हल्का लटूरी, तहसील सांगोद, जिला कोटा एवं उसके दलाल कन्हैया लाल (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी. बी. की झालावाड इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि की पैमाईश करवाकर कब्जा दिलवाने की एवज में धनवीर मीणा पटवारी हल्का लटूरी, तहसील सांगोद, जिला कोटा द्वारा 80 **हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी झालावाड इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भवानीशंकर मीणा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर उनकी टीम के साथ कोटा में ट्रेप कार्यवाही करते हुये धनवीर मीणा पुत्र श्री हेमराज मीणा निवासी हनवतखेड़ा, थाना बपावर कलां जिला कोटा हाल पटवारी हल्का लटूरी, तहसील सांगोद, जिला कोटा को परिवादी से **40 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पटवारी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर अपने दलाल कन्हैया लाल पुत्र श्री मोहन लाल निवासी बुडनी, थाना बपावर कलां, जिला कोटा (प्राईवेट व्यक्ति) दी, जिसने रिश्वत राशि को पटवार भवन के पीछे की गली में फेंक दिया, जहाँ से रिश्वत राशि बरामद की जा चुकी है। आरोपी दलाल कन्हैया लाल (प्राईवेट व्यक्ति) को भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।